निर्धारित किए गए थे। बाद की अवधि के लिए योजना आयोग द्वारा अभी लक्ष्य निर्धारित किए जाने हैं।

दिल्ली में रिंग-रेल

3287. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की रिंग-रेल में प्रतिदिन कितने लोग यात्रा कर सकते हैं;

(ख) रिंग-रेल पर कुल कितनी गाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं और उनमें कितने यात्रियों के लिए स्थान होता है;

(ग) क्या कोई ऐसी योजना है कि रिंग-रेल पर प्रति दस, बीस या तीस मिनट के अन्तराल पर गाड़िया चलाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो कथित योजना के कब तक लागू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) दिल्ली परिक्रमा रेलवे पर इस समय 11 गाड़ियां (7 घड़ी की दिशा में और 4 घड़ी की विपरीत दिशा में) चलायी जा रही हैं और इन गाड़ियों में प्रति दिन 12,800 से अधिक यात्री यात्रा कर सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल ठेकेदारों की योग्यता के मानदण्ड का पुनर्विलोकन

3288. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग में कार्यरत ठेकेदारों की योग्यता के मानदण्ड का पुनर्विलोकन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) क्या सरकार यह जानने के लिए कोई प्रयास कर रही है कि क्या ठेकेदार रेल अधिकारियों के रिश्तेदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण

3289. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रख्यात वकीलों और विधि-वेत्ताओं ने राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण के पुनर्विलोकन का आग्रह किया है तथा उन क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए जो पर्यावरण कानून के अन्तर्गत नहीं आते हैं; इसके कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पर्यावरण कानून संबंधी केन्द्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई कार्यशाला की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यशाला द्वारा प्रस्तावित मुख्य संस्तुतियां क्या-क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) पर्यावरणीय विधि केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा 17.6.1995 को आयोजित कार्यशाला के प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की सिफारिशें की हैं। निम्नलिखित सिफारिशें की गई:—

"दुर्घटना" शब्द को हटा कर अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाए ताकि "परिसंकटमय पदार्थों के हथालन" के कारण होने वाली समस्त क्षतियों को इसमें शामिल किया जा सके।

लोगों और गैर-सरकारी संगठनों की अधिक सहभागिता होनी चाहिए। कानून में निर्धारित गैर-सरकारी संगठनों को "मान्यता देने" की प्रणाली को हटाया जाए।

किसी कंपनी द्वारा हुई दुर्घटना की स्थिति में, मुआवजे के भुगतान का दायित्व कंपनी के सभी निदेशकों की होनी चाहिए।

न्यायाधिकरण की कार्यसीमा से "कर्मकारों" को इस कानून से बाहर न रखा जाए। लाभकारी